दूरभाष : 0121 — 2663731

रजिस्टर्ड

प्रेषक,

उप निदेशक, कारखाना, उत्तर प्रदेश
मेरठ सम्भाग, श्रम भवन, मेरठ

सेवा में,

प्रबन्धक
मै0 बजाज हिन्दुस्तान लि0
ग्राम-किनौनी, पो0रसूलपुर, जिला-मेरठ।

पत्र संख्या 3006 डी0एफ0/रेखा/सम0 दि0 28.11.2010

संशो0
कारखाना भवन के xxxxxxxxxxxxxx रेखाकनो का अनुमोदन एवं स्थायित्व के प्रमाण पत्र की स्वीकृति

महोदय,

आपके कारखाने के रेखाकन इत्यादि जो कि क्षत्रीय कार्यालय मेरठ को प्रस्तुत किए गए थे आपके पत्र संख्या xxxxxxxxxx दिनाक xxxxxxxxxxx के साथ इस कार्यालय में अनुमोदन हेतु प्राप्त हुए है । उनको कारखाना अधिनियमए 1948 एवं उसके अर्न्तगत निर्मित उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली 1950 के अनुसरण मे निम्नांकित शर्तो पर अनुमोदित करके इस पत्र के साथ भेजे जा रहे है ।

(शर्ते पृष्ठ भाग पर अंकित है)

साथ ही स्थायित्व का प्रमाण पत्र दिनाक 27.9.2010 जो श्री राजीव कुमार द्वारा हस्ताक्षरित है तथा वर्क रूम नम्बर/कारखाना/भवन सम्पूर्ण के लिए जैसा कि रेखाकन संख्या 19/1x25से25/25वीपी-2010 मे दर्शित है को 28.00मेगावाट xxxxxxx (विद्युत) तथा 2010केवीएडीजी (एसबी) अश्व शक्ति (इंजन/आयल इन्जिन) कुल xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx के प्रयोगार्थ स्वीकृत किया जाता है ।

[illegible]

संलग्न :-	
रेखाकंन	
साईट प्लान	25
प्रश्नोत्तरी	01
फलो चार्ट	01
फार्म न0 1	14पेज

भवदीय,
(ओ0पी0भारती)
उपनिदेशक, कारखाना उत्तर प्रदेश
मेरठ सम्भाग, मेरठ

संख्या........ डी0एफ0/रेखा/सम0........ दिनाक ....

प्रतिलिपि अनुमोदित रेखाकनो के स्वीकृति पत्र के साथ सहायक निदेशक कारखाना उ0 प्र0 प्रभारी मेरठ क्षेत्र को उनके अशा0 पत्र संख्या 1169 दिनाक 15.11.2010 के सन्दर्भ मे सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है ।

2. समनुज्ञा पत्रावली हेतु।

संलग्नें : उपरोक्तानुसार

(ओ0पी0भारती)
उपनिदेशक,कारखाना, उत्तर प्रदेश
मेरठ सम्भाग, मेरठ

शर्ते निम्नलिखित हैं:-

1. कारखाने में सुरक्षा प्राविधानों का पूण प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. कारखाने में वेन्टीलेशन, फ्रेश एयर सरकुलेशन का नियमानुसार पूर्ण प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. यह रेखाकंन एवं स्थायित्व प्रमाण पत्र आदि, पूर्व अनुमोदन/स्वीकृति को निरस्त करते हुऐ, अनुमोदित/स्वीकृत किये गये हैं।
4. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-38नियम-61 के प्राविधानों का पूर्ण प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जायेगा।